

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचंद पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक- अप्रैल, 2016

विषय :- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वाद संख्या-114/4/8/2013-WC/OC दिनांक-21.01.2016 में पारित आदेश के आलोक में मोतिहारी नगर थाना काण्ड सं0- 538/12 दिनांक-29.12.2012 में पीड़ित विक्षिप्त महिला के समुचित इलाज एवं उसके बेहतरी पर खर्च के लिए स्वीकृत राशि ₹1,00,000/- (एक लाख रुपये) मात्र का पीड़िता के नाम एक Corpus Fund बनाने हेतु जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को ₹1,00,000/- (एक लाख रुपये) मात्र भुगतान के संबंध में।

- आदेश:- स्वीकृत।
2. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषयांकित वाद में जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को पीड़िता के समुचित इलाज एवं उसके बेहतरी पर खर्च के लिए राशि ₹1,00,000/- (एक लाख रुपये) का पीड़िता के नाम एक Corpus Fund बनाने हेतु जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को ₹1,00,000/- (एक लाख रुपये) मात्र भुगतान करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है।
 3. उक्त राशि ₹1,00,000/- (एक लाख रुपये) मात्र की निकासी वित्तीय वर्ष 2016-2017 में मुख्य शीर्ष 2235-समाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-उप मुख्य शीर्ष-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम लघुशीर्ष-200-अन्य कार्यक्रम माँग संख्या-22, उप शीर्ष-0011-मानवता के दृष्टिकोण से राहत, विपत्र कोड N2235602000011 विषय शीर्ष-3102 अनुग्रह अनुदान में उपबंधित राशि से विकलनीय होगी।
 4. यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561 दिनांक 17.04.98 के आलोक में निहित आदेश के अधीन निर्गत किया जा रहा है, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी की होगी।
 5. उक्त राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी होंगे।
 6. उक्त राशि की निकासी जिला कोषागार, मोतिहारी से की जायेगी।
 7. जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी द्वारा पीड़िता की समुचित पहचान कर उक्त स्वीकृत राशि का उपयोग पीड़िता के समुचित इलाज एवं उसके बेहतरी पर खर्च के लिए पीड़िता के नाम एक Corpus Fund बनाने के लिए किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(जितेन्द्र कुमार)

सरकार के विशेष सचिव।

फैक्स
स्पीड-पोस्ट

ज्ञापांक:-/ पटना, दिनांक, 2016
प्रतिलिपि :- प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत, प्रमण्डल तिरहुत/जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/कोषागार पदाधिकारी, मोतिहारी/वित्त विभाग बजट शाखा, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में) सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक:-/ पटना, दिनांक, 2016
प्रतिलिपि :- उप सचिव, प्रभारी प्रशाखा "ए0", गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ अग्रसारित।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव।

फैक्स
स्पीड-पोस्ट

ज्ञापांक:-/ पटना, दिनांक, 2016
प्रतिलिपि :- सहायक निबंधक (विधि), राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, मानव अधिकार भवन, ब्लॉक सी0, जी0पी0ओ0 कम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110023 को उनके पत्रांक/वाद 114/4/8/2013-WC/OC दिनांक-21.01.2016 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक:- 3693...../ पटना, दिनांक 13/04/2016
प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

(जितेन्द्र कुमार)
13.04.16
सरकार के विशेष सचिव।